-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 31.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कालिंजर क्षेत्रांतर्गत एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म मामले में पहचान उजागर कर निजता का उल्लंघन कर आपराधिक कृत्य करने वाले अभियुक्त को कालिंजर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- दिनांक 25.07.2025 को थाना कालिंजर क्षेत्रान्तर्गत एक 06 वर्षीय बालिका के साथ पडोसी व पूर्व परिचित व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया था। जिसमें अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस घटना को लेकर कुछ व्यक्तियों द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीडिता की पहचान(नाम/पता/फोटो) आदि को उजागर किया गया था जिसके संबंध में थाना कालिंजर पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत है। इसी क्रम में थाना कालिंजर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त राकेश वर्मा पुत्र गया प्रसाद वर्मा को गिरफ्तार किया गया है जिसके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीड़िता की पहचान उजागर की गई थी। अन्य व्यक्ति जिनके द्वारा किसी भी प्रकार से पीड़िता की पहचान उजागर कर उसकी निजता का उल्लंघन किया गया है उनकी भी पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी।

बांदा पुलिस आमजन से अपील करती है कि ऐसी घटनाओं में पीड़िता की पहचान उजागर करना न केवल नैतिक रूप से निंदनीय है, बल्कि विधिक दृष्टिकोण से गंभीर दंडनीय अपराध भी है। इस प्रकार की सूचना/फोटो/वीडियो का सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम से प्रसारण करने से बचें।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राकेश वर्मा पुत्र गया प्रसाद वर्मा निवासी ग्राम दुबरिया थाना बदौसा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 140/25 धारा 72 बीएनएस, धारा 23 पाक्सो एक्ट, धारा 74 जेजे एक्ट व धारा 66E आईटी एक्ट थाना कालिंजर जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरी0 श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री सतीश चन्द्र गौतम
3. कां0 अवधेश यादव